कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान
समिति, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक / EMRS / G-26 / 2022-23 / 12963 नवा रायपुर, दिनांक 22/2 /2023

प्रति,

कलेक्टर / अध्यक्ष,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला-.......................... (छ.ग.)

विषय :- **शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में सीधे प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश।**

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रति-वर्ष की भांति शिक्षण सत्र 2023-24 में प्रति विद्यालय में संलग्न प्रवेश नीति 2023-24 के प्रावधानों के अनुरूप कक्षा-6वीं में प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती किया जाना है।

वर्ष 2023-24 में परीक्षा आयोजन हेतु जिला स्तर पर निम्नांकित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें :-

**1. प्रवेश परीक्षा :-**

**प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 23.04.2023, दिन-रविवार को प्रातः 10:00 से 12:00 तक (2 घंटे) आयोजित होगा।**

**2. वर्ष 2023-24 में प्रवेश परीक्षा के पध्दति में परिवर्तन के कारण व्यापक प्रचार-प्रसार :-**

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु परीक्षा पध्दति में परिवर्तन किया है। किए गये परिवर्तन में मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

(अ) वर्ष 2023-24 से प्रथम बार प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाईन पंजीयन www.eklavya.cg.nic.in के माध्यम से किया जा रहा है।

(ब) प्रवेश परीक्षा द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार कर विद्यार्थी द्वारा चयन किए गये स्कूलों के प्राथमिकता के आधार पर स्कूल आबंटित किया जाना है।

(स) विद्यालय में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के अतिरिक्त विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय, DNT/NT/SNTसमुदाय, वामपंथ उग्रवाद / विद्रोह / कोविड-19 में माता-पिता को खोने वाले बच्चे, विधवा माता के बच्चे, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे तथा अन्य जैसे भूमि दान, अनाथ वर्ग के बच्चे आदि इसके साथ ही जिस विकासखंड में विद्यालय स्थित है उस विकासखंड के शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक / पैरामेडिकल स्टॉफ / CES / एकलव्य विद्यालयों के स्टॉफ के बच्चों को प्रवेश में सीट का प्रावधान किया गया है।

(द) प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्रों की संरचना में मानसिक क्षमता विकास, अंकगणित परीक्षा, भाषा – हिन्दी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा को शामिल करते हुए 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जायेंगे।

(इ) उत्तर पुस्तिका के लिए ओ.एम.आर. शीट होगा जिस पर उत्तर दर्ज किए जायेंगे।

उपरोक्त नये प्रावधान होने के कारण जिला स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे :-

(1) जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन विकासखंड शिक्षा अधिकारीयों एवं विकासखंड समन्वयकों, मंडल संयोजकों तथा छात्रावास अधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित कर नवीन प्रवेश नीति 2023-24 के प्रावधानों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाये जिससे वे संकुल एवं शाला स्तर पर सभी विद्यार्थियों को एकलव्य विद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश फार्म भरने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

(2) स्थानीय स्तर के समस्त समाचार पत्रों में ऑनलाईन प्रवेश हेतु परीक्षा पध्दति का प्रचार–प्रसार किया जाये।

(3) छात्रावास एवं स्कूलों तक सरल भाषा में पाम्प्लेट मुद्रित कराकर वितरण किया जाये साथ ही मुख्य सार्वजनिक स्थल जैसे तहसील, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थानों के सामने बजट सीमा में कम कीमत के बड़े होर्डिंग लगा कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।

(4) प्रत्येक छात्रावास एवं स्कूलों में पालक बालक सम्मेलन आयोजित कर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा का महत्व समझाते हुए नवीन प्रवेश नीति तथा ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा द्वारा अधिकाधिक फार्म भरने हेतु जानकारी दी जावे।

**3. प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने हेतु हेल्प डेस्क की विशेष व्यवस्था :–**

जनजातीय ग्रामीण विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठना चाहते है उन्हें परीक्षा फार्म भराने एवं सहयोग करने हेतु प्रत्येक विद्यालय, छात्रावासों एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में एक शिक्षक को प्रभारी बनाया जाए। जिससे विद्यार्थी ऑनलाईन परीक्षा आवेदन फार्म ठीक तरीके से भर सके एवं प्रभारी शिक्षक द्वारा परीक्षा फार्म भरकर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास /विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जहाँ भी निर्धारित किया गया हो वहाँ फार्म उचित तरीके से पहुंचाया जा सके।

इसके अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन फार्म में प्रधान पाठक द्वारा विद्यार्थी के संबंध में एक प्रपत्र है जिसे भरकर ऑनलाई आवेदन में अपलोड किया जाना है अतः संबंधित प्रधान पाठक परिक्षण कर सही तरीके से जानकारी भर कर हस्ताक्षर कर विद्यार्थी एवं पालक को उपलब्ध कराया जाये।

**4. विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जाना :–**

जिला स्तर से ऑनलाईन विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जायेगा या स्कूल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मोबाईल पर प्रवेश पत्र एवं परीक्षा की जानकारी दी जायेगी।

**5. परीक्षा आयोजन संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था :–**

**i. जिला नोडल अधिकारी :–**

जिला स्तर पर एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संचालन हेतु संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा की वे राज्य स्तर से प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर.शीट प्राप्त करने हेतु किसी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को निर्धारित तिथि पर भेजेंगे तथा प्राप्त प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर.शीट को केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से निकटस्थ पुलिस थाने के अभिरक्षा में रखवायेंगे। परीक्षा समाप्ति पश्चात् प्रेक्षकों से प्राप्त ओ.एम.आर.के सीलबंद लिफाफे को राज्य मुख्यालय में राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

**ii. प्रेक्षक (Obeserver) :–**

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक राजस्व अधिकारी/किसी विभाग के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी को को फुल टाइम प्रेक्षक (Obeserver) नियुक्त किया जाए जिसके देख रेख एवं नियंत्रण सभी व्यवस्थांए एवं परीक्षा का निष्पक्ष संचालन हो सके। इनके द्वारा परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के भरे ओ.एम.आर.शीट को सीलबंद लिफाफे में केन्द्राध्यक्ष से लेकर जिला नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त उपयोग किए गये एवं खाली प्रश्नपत्र एवं ओ.एम.आर.शीट की जानकारी केन्द्रध्यक्ष से लेकर जिला नोडल अधिकारी को सौंपेंगे।

**iii परीक्षा केन्द्र हेतु केन्द्राध्यक्ष :–**

परीक्षा तिथि को केन्द्राध्यक्ष प्रश्नपत्र एवं ओ.एम.आर.शीट थाने से लेकर परीक्षा केन्द्र में लेजाकर तीन लोगों के समक्ष खोलकर एवं हस्ताक्षर कराकर परीक्षा संचालन करेंगे तथा परीक्षा उपरांत प्रश्नपत्रों एवं ओ.एम.आर.शीट का प्राप्ति, वितरण तथा बिनाउपयोग हुए का विवरण प्रमाणितकर प्रेक्षक के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेगे। केन्द्राध्यक्ष का दायित्व होगो कि वे सम्पूर्ण परीक्षा को सफलता पूर्वक बोर्ड परीक्षा के नियमानुसार संचालित करेंगे। परीक्षा हेतु उचित कक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे तथा यह भी सुनिश्ति करेंगे की उनके परिवार या रिश्तेदार के कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल न हो रहे हों। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक कक्ष/हाल में न्यूनतम 02 शिक्षक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए।

**6. परीक्षा केन्द्र :–**

**प्रवेश नीति 2023–24 के परिशिष्ट 11** में दिये गये परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित किया जाना है इस हेतु ऑनलाईन आवेदन फार्म से जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी ली जा सकेगी। कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाये तथा विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक चयन परीक्षा पूर्व जानकारी पहुंचाया जाए।

**7. केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण :–**

जिला स्तर पर सभी केन्द्राध्यक्षकों/पर्यवेक्षकों को परीक्षा संचालन संबंधी समस्त निर्देश/ प्रश्नपत्रों/**OMR** आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे परीक्षा का संचालन ठीक से हो सकें।

**8. परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र/OMR संबंधी प्रशिक्षण :–**

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व सभी परीक्षार्थियों को **OMR** शीट में जानकारी कैसे भरे के संबंध में जानकारी दिया जाए। विद्यार्थी सही ढंग से **OMR** शीट में जानकारी भर सकें, जिसकी जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों की होगी।

**9. प्रश्न पत्रों की सुरक्षा :–**

मुख्यालय से प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु 02 विश्वसनीय कर्मचारी भेजे जाए जो प्रश्न पत्रों को सुरक्षित ले जायेंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्रों के पैकेट को स्थानीय थाने के अभिरक्षा में रखा जाएगा। परीक्षा के दिन केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त कर परीक्षा संचालन किया जाएगा। उपयोग में लाये गये एवं शेष प्रश्न पत्रों/**OMR** शीट का हिसाब तैयार कर पृथक–पृथक सील बंद लिफाफे में रखा जाए।

**10. परीक्षा के तिथि पर प्रश्न पत्रों का खोला जाना :–**

- **i.** किसी भी स्थिति में परीक्षा की अवधि में प्रश्न पत्र केन्द्र से बाहर ना जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु केन्द्राध्यक्ष एवं राजस्व अधिकारी स्वतः जिम्मेदार होंगे।
- **ii.** प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस की व्यवस्था किया जावे।
- **iii.** परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष एक शिक्षक तथा एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा चालू होने के 20 मिनट पूर्व खोला जाकर हस्ताक्षर युक्त लिफाफा सुरक्षित रखा जाये। बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों में ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर कर नाम एवं पद नाम, पदस्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जाए।

iv. परीक्षा आयोजन संबंधी समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जाये फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से रोका जाये। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर संबंधितों की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे।

**11. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन :–**

i. सभी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु मुख्य मूल्यांकक (Head valuer), सहायक मूल्यांकक (Assistant valuer) तथा परीक्षक नियुक्ति किये जाये, जिनके विद्यार्थियों के रिश्तेदार परीक्षा में न सम्मिलित हुए हो।

ii. अंतिम मूल्यांकन पश्चात् गठित समिति द्वारा प्रावधिक प्रवेश की मेरिट सूची का अनुमोदन प्रदान किया जाए एवं सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जाएगा तत्पश्चात् आयुक्त के अनुमोदन पश्चात् परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा तथा परीक्षा परिणाम की एक प्रति समस्त जिला कलेक्टर/जिला नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजी जायेगी जहां से वे जिला के वेबसाईट पर अपलोड करेंगे इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी तक परीक्षा परिणाम उपलब्ध कराया जायेगा।

iii. मूल्यांकन में 02 विद्यार्थी समान अंक प्राप्त करने पर जन्मतिथि में वरीयता प्रदान की जायेगी।

**12. चेक लिस्ट अनुसार कार्यवाही :–**

चेक लिस्ट में दिये गये दिनांकवार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नवीन शिक्षण सत्र 2023–24 हेतु नियमित कक्षाएं शासन के निर्देशानुसार प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए।

**13. विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश की व्यवस्था :–**

प्रावधिक मेरिट सूची के आधार पर आबंटित विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति गठित की जावेगी। प्रवेश समिति द्वारा विद्यार्थियों के आवश्यक अभिलेख के आधार पर प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी। प्रवेश उपरांत प्रवेश सूची जिला समिति द्वारा अनुमोदन कराया जायेगा। रिक्त सीटों पर प्रतिक्षा सूची से प्रवेश नीति 2023–24 के नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

अतः प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कराकर पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। प्रवेश संबंधी कार्यवाही एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.eklavya.cg.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार ।

(शम्मी आबिदी)
**आयुक्त/पदेन सचिव**
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / EMRS / G-26 / 2022–23 / 12964 नवा रायपुर, दिनांक 22/ 2 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. **निज सचिव,** मान. मंत्री, आदिम जाति अनुसूचित कल्याण विभाग एवं अध्यक्ष छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2. **सचिव,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. **केन्द्र निर्देशक,** NIC, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर। कृपया NIC द्वारा डेव्लप किये गये ऑनलाईन आवेदन फॉर्म के आधार पर आवेदन पंजीयन करने हेतु जारी किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी किया गया प्रवेश नीति वर्ष 2023–24 संलग्न है। अनुरोध है कि राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तर तक के लिए विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराते हुए फील्ड स्तर पर ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आने पर तत्काल निराकरण कराने हेतु समर्पित डेव्लपर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ऑनलाईन आवेदन को एकलव्य के वेबसाईट पर आज ही एक्टिवेट करें।

4. **समस्त परियोजना प्रशासक**, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ........................................ जिला...................... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि परियोजना क्षेत्र में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के परीक्षा संचालन एवं विद्यालयों में प्रवेश की आवश्यक व्यवस्था की मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।

5. **सहायक आयुक्त / सदस्य सचिव,** जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला–.............................. (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करे।

6. **प्राचार्य / उप प्राचार्य**, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय........................................ जिला........................ छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

**आयुक्त/पदेन सचिव**

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,

आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

## भाग–6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिये प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का समय–सीमा (कक्षा 6वीं हेतु) :–

| क्र. | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| 1. | एकलव्य विद्यालयों के प्रवेश परीक्षा हेतु सूचना का प्रकाशन | 22 फरवरी 2023, मंगलवार |
| 2. | विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि | 20 मार्च 2023, सोमवार (रात्रि 12:00 बजे तक) |
| 3. | ऑनलाईन भरे गये फॉर्म में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि | 21 से 27 मार्च 2023 तक (रात्रि 12:00 बजे तक) |
| 4. | राज्य कार्यालय से विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदनों का जिलेवार डाटा जिलों को भेजा जाना | 29 मार्च 2023, बुधवार |
| 5. | जिला मुख्यालय पर ऑनलाईन जिलेवार/विकासखण्डवार/प्रवेश परीक्षा केन्द्रवार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर विद्यार्थियों की सूची केन्द्रवार तैयार करना। | 01 अप्रैल 2023, शनिवार |
| 6. | जिन परीक्षा केन्द्रों पर कम विद्यार्थी हैं उन्हें ज्यादा क्षमता वाले परीक्षा केन्द्रों में स्थानांतरित किया जाना है तो विद्यार्थी का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र के साथ जानकारी राज्य स्तर को भेजने हेतु प्रस्ताव। | 03 अप्रैल 2023, सोमवार |
| 7. | जिलों द्वारा राज्य को भेजे गये डाटा के आधार पर विद्यार्थियों का अंतिम रूप से ऑनलाईन डाटा में संशोधित परीक्षा केन्द्र आवंटन राज्य स्तर NIC से तैयार किया जाना। | 05 अप्रैल 2023, बुधवार |
| 8. | जिला स्तर से विद्यार्थियों को ऑनलाईन/पंजीकृत डाक से प्रवेश पत्र जारी किया जाना साथ ही विद्यार्थी वेबसाईट से सीधे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है। | 08 अप्रैल 2023 से प्रवेश परीक्षा की तिथि तक |
| 9. | जिला कलेक्टर द्वारा संपूर्ण परीक्षा आयोजन हेतु किसी अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करना तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु राजस्व अधिकारी/किसी विभागीय अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करना | 17 अप्रैल 2023, सोमवार |
| 10. | राज्य मुख्यालय से सीलबंद प्रश्न पत्रों एवं ओएमआर शीट का वितरण पश्चात् प्रश्न–पत्र जिला नोडल अधिकारी को सौंपा जाना तथा नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा केन्द्र के लिये नियुक्त केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से नजदीकी पुलिस थाना में जमा किया जाना। | 19 अप्रैल 2023, बुधवार एवं 20 अप्रैल 2023, गुरूवार |
| 11. | परीक्षा केन्द्र हेतु नियुक्त केन्द्राध्यक्ष द्वारा पुलिस थाना से प्रश्न–पत्र एवं ओएमआर शीट प्राप्त कर निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि/समय पर कराना | 23 अप्रैल 2023, रविवार समय 10:00 से 12:00 बजे |
| 12. | केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से सीलबंद उत्तर पुस्तिकाओं (ओएमआर) को परीक्षा केन्द्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक को सौंपा जाना तथा प्रेक्षक द्वारा जिला स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को सौंपा जाना | 23 अप्रैल 2023, रविवार |
| 13. | प्रश्न पत्रों का मॉडल उत्तर राज्य स्तर से वेबसाईट पर अपलोड करना | 24 अप्रैल 2023, सोमवार |
| 14. | जिला नोडल अधिकारी द्वारा राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को समस्त सीलबंद उत्तर पुस्तिकाएं (ओएमआर) सौंपा जाना | 24 अप्रैल 2023, सोमवार |
| 15. | राज्य स्तर पर मूल्यांकन का कार्य | 25 – 30 अप्रैल 2023 |
| 16. | राज्य स्तर पर प्रावधिक रूप से चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी किया जाना | 02 मई 2023, मंगलवार |
| 17. | प्रावधिक रूप से चयनित विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यालय स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन कार्य एवं प्रवेश प्रारंभ | 03–12 मई 2023 तक |
| 18. | जिला स्तर पर प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना एवं राज्य एवं जिलें के समाचार पत्रों में सूचना जारी करना | 13 – 20 मई 2023, |
| 19. | प्रतीक्षा सूची के आधार पर अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रवेश की कार्यवाही | 21–30 मई 2023 |
| 20. | विआरक्षण (Dereservation of Seats) के आधार पर चयन सूची जारी करना | 05 जून 2023 तक |
| 21. | नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ | 15 जून 2023, गुरूवार |

आयुक्त/पदेन सचिव